Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone :0141-2711263 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

Toll Free Help Line No. : 18001806127 Ext. 7

एफ 16 (प्लास्टिक–130)/राप्रनिमं/प्लास्टिक/ 983 दिनांक 22-03-2023

सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक हेतु नोटिस

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.08.2021 को जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 571 (अ) के द्वारा चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंधित किया गया है।

प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेण्ट रूल्स, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार पोलीस्टाइरीन सहित निम्न सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से रोक रहेगी:–

(a) प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकाल) की सजावटी सामग्री।

(b) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट के ईर्द–गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

सभी उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई–कामर्स कम्पनी, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (मॉलस/बाजार/शॉपिंग सेण्टर/सिनेमा हॉल/पर्यटन स्थल/विद्यालय/महाविद्यालय/कार्य स्थल/अस्पताल एवं अन्य संस्थाओं) एवं जन सामान्य को इस नोटिस के माध्यम में सूचित किया जाता है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस का उत्पादन, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बंद कर दें। इसके अलावा सभी संबद्ध पक्ष दिनांक 30.06.2022 तक उपरोक्त वर्णित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटमस की शून्य इनवेण्टरी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्त नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसके तहत सामान की जब्ती करने, पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि वसूलने एवं इकाई/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने की कार्यवाही शामिल है।

(आनन्द मोहन)
सदस्य सचिव